न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 661 सन 2019
अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर ।
2. सन्तरोदेवी पत्नी हनुमान पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. नरेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. बलवीर सिह पुत्र हनुमनराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
5. शकुन्तला पत्नी बलवीर सिह जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
6. मैना पत्नी नरेश कुमार जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. सिलोचना पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 17/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 149/146 की कुल 9.0800हैक व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 336/337 की कुल 6.7660हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 307/307 की कुल 21.9790हैक में से 2972/21979हिस्सा व खाता संख्या 306/308 के खसरा न0 152/2 की 0.7780हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 6 बीजीपी बी के खाता संख्या 104/84 की कुल 5.4520हैक में से 1.236हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 0.127 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है चक 7 बीजीपी के खाता संख्या 92/60 की कुल 3.5680हैक भूमि में से 0.892हैक व रोही मौजा 8 बीजीपी के खाता संख्या 65/51 की 0.9540हैक मे से 0.320हैक भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम से दर्ज है रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 178/182 की कुल 97.8970हैक में से 937/97897हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा खाता संख्या 320/319 की कुल 9.6110हैक में से 2530/9611 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व 7081/19222हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 तथा 7081/19222हिस्सा भूमि वादी के नाम से दर्ज है तथा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक में से 585/10288 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 तथा 1165/20576हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 तथा 1165/20576 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पूर्वज हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई है।

उक्त भूमि वादी के दादा हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि विरास्तन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज हुई है । वादी के पूर्वज हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वजों हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के देहानत होने एवं पूर्वजों हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने आपसी सहमति से वाद भूमि में अपने हक हिरसा के अनुसार काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 149/146 की कुल 9.0800हैक व रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 336/337 की कुल 6.7660हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 307/307 की कुल 21.9790हैक में से 2972/21979हिस्सा व खाता संख्या 306/308 के खसरा न0 152/2 की 0.7780हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चक 6 बीजीपी बी के खाता संख्या 104/84 की कुल 5.4520हैक में से 1.236हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा 0.127 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है चक 7 बीजीपी के खाता संख्या 92/60 की कुल 3.5680हैक भूमि में से 0.892हैक व रोही मौजा 8 बीजीपी के खाता संख्या 65/51 की 0.9540हैक मे से 0.320हैक भूमि प्रतिवादीया संख्या 2 के नाम से दर्ज है रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 178/182 की कुल 97.8970हैक में से 937/97897हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तथा खाता संख्या 320/319 की कुल 9.6110हैक में से 2530/9611 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम व 7081/19222हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 तथा 7081/19222हिस्सा भूमि वादी के नाम से दर्ज है तथा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

कुल 41.1520हैक में से 585/10288 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 6 तथा 1165/20576हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 तथा 1165/20576 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पूर्वज हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई है।

उक्त भूमि वादी के दादा हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के देहान्त होने पर वाद भूमि विरास्तन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज हुई है । वादी के पूर्वज हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 , 2 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यो का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाचिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारो के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायायिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णत्या चस्पा होते है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के पूर्वज हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नम से दर्ज हुई है तथा वादी के पूर्वज हेतराम चुनीराम अमरसिह पि0 तिलोकाराम एवं मोमन वल्द मन्शाराम ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी ने निवेदन किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि व पैतृक भूमि के हक हिस्सा के अनुसार आपसी सहमति से काश्त की सुविधा के मध्यनजर बाहमी बटवारा कर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

लिया है उसी के अनुसार वाद भूमि काश्त करते आ रहे है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुख्या के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है की सयुक्त परिवार की आय एव पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यो के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है ।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 178/182 की कुल 97.8970हैक में से 937/97897 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ वादी बहिब तथा रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 336/337 की कुल 6.7660हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 307/307 व खाता संख्या 306/308 में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 320/319 की कुल 9.6110हैक मं से 7081/19222 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को पूर्व में दर्ज भूमि के साथ अर्थात 7 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 149/146 के खसरा न0 288/1 की कुल 9.0800हैक में से 6.81हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब एवं शेष 2.270हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 6 बीजीपी बी के खाता संख्या 104/84 की कुल 5.4520हैक में से 1.236हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात पूर्व में दर्ज भूमि के साथ 1.363हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार होगा रोही मौजा चक 7 बीजीपी के खाता संख्या 92/60 की कुल 3.5680हैक में से 0.892 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 8 बीजीपी के खाता संख्या 65/51 की कुल 0.9540हैक में से 0.320हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सुभाषचन्द्र पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हनुमान पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर ।
2. सन्तरोदेवी पत्नी हनुमान पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
3. नरेश कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
4. बलवीर सिह पुत्र हनुमनराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
5. शकुन्तला पत्नी बलवीर सिह जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया
6. मैना पत्नी नरेश कुमार जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
7. सिलोचना पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खरसण्डी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व संगरिया/नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 661 सन 2020 निर्णय दिनांक–17/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 178/182 की कुल 97.8970हैक में से 937/97897 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 3 के साथ वादी बहिब तथा रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 336/337 की कुल 6.7660हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 307/307 व खाता संख्या 306/308 में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज भूमि यथावत रहेगी रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 320/319 की कुल 9.6110हैक मं से 7081/19222 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब एवं रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 79/83 की कुल 41.1520हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 ,7 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 को पूर्व में दर्ज भूमि के साथ अर्थात 7 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसीप्रकार रोही मौजा खरसण्डी के खाता संख्या 149/146 के खसरा न0 288/1 की कुल 9.0800हैक में से 6.81हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 3 बहिब एवं शेष 2.270हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 6 बीजीपी बी के खाता संख्या 104/84 की कुल 5.4520हैक में से 1.236हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात पूर्व में दर्ज भूमि के साथ 1.363हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 खातेदार काश्तकार होगा रोही मौजा चक 7 बीजीपी के खाता संख्या 92/60 की कुल 3.5680हैक में से 0.892 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 8 बीजीपी के खाता संख्या 65/51 की कुल 0.9540हैक में से 0.320हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner